

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,

तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-91/2018

संस्थित दिनांक-12/03/2018

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,  
जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1-राकेश कुमार पिता विजय कुमार मेरावी, उम्र-27 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-सिलंगौर, थाना बरेला, जिला जबलपुर म.प्र.
- 2-इमरान उर्फ गुड्डा पिता मो.अय्यूब खान, उम्र-28 वर्ष, जाति मुसलमान,  
निवासी-घोटखेड़ा, थाना टिकरिया, जिला मण्डला म.प्र.
- 3-राजेश पिता गोवर्धन उर्फ गुबरा यादव, उम्र-27 वर्ष, जाति अहीर,  
निवासी-सिलंगौर, थाना बरेला, जिला जबलपुर म.प्र.

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

—:दिनांक-19/03/2018 को घोषित:-

- 1- (अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(3 काउन्ट्स), 338 एवं धारा-146/196 मो.व्ही.एक्ट का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-23.01.2018 को समय दिन के 01:30 बजे, थाना बैहर अंतर्गत तन्नौर पुल के आगे फॉरेस्ट ऑफिस के सामने लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी-21/ई-0636 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर वाहन से पेड़ में टक्कर मारकर आहत गिरजाबाई को नाक तथा बाएं पैर में एवं आहत सूरजप्रसाद को सीने, दोनों पैर के घुटने के नीचे तथा आहत रज्जू को नाक में चोट पहुंचाकर साधारण उपहति कारित कर आहत गोवर्धन यादव के दाहिने हाथ में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित कर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया। अभियुक्त इमरान उर्फ गुड्डा एवं राजेश पर मो.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के वाहन क्रमांक-एम.पी-21/ई-0636 को बिना बीमा कराए चलवाया।
- 2- प्रकरण में अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337(3 काउन्ट्स), 338 के आरोप से

दोषमुक्त किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 राजीनामा योग्य नहीं होने से अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 का विचारण एवं अभियुक्त इमरान उर्फ गुड्डा एवं राजेश के विरुद्ध मो.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-23.01.2018 को राजकुमार सिंह पुलिस थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को राजकुमार सिंह को बैहर अस्पताल की तहरीर जांच के लिए प्राप्त होने पर उन्होंने घटना के आहतगण गोवर्धन, गिरजाबाई, सूरजप्रसाद, रज्जू का मेडिकल परीक्षण कराकर उनके कथन लेखबद्ध किये थे। जिसमें आहतगण ने बताया था कि दिनांक-23.01.2018 को मैक्स वाहन क्र. एम.पी-21/ई-0636 में बैठकर उनके घर जा रहे थे। उक्त वाहन को अभियुक्त राकेश कुमार चला रहा था, तभी दिन के 1:30 बजे, तन्नौर पुल के आगे फॉरेस्ट ऑफिस के सामने पहुंचे थे तब अभियुक्त राकेश कुमार ने वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर पेड़ में टक्कर मार दी थी, जिससे आहत गोवर्धन यादव को दाहिने हाथ, बाएं आंख के पास, दोनों पैर के घुटनों में, आहत गिरजाबाई को नाक तथा बाएं पैर में एवं आहत सूरजप्रसाद को सीने तथा दोनों घुटने के नीचे, आहत रज्जू को नाक में चोट आई थी। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराकर पुलिस थाना बैहर ने अपराध क्रमांक-03/18 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4— अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(3 काउन्ट्स), 338 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 का अपराध विवरण बनाकर अपराध विवरण की विशिष्टियां एवं अभियुक्त इमरान उर्फ गुड्डा एवं अभियुक्त राजेश को मो.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 के अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई गई थी तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5— अभियुक्तगण का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण का कहना है कि वह निर्दोष हैं, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

6— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी ने घटना दिनांक-23.01.2018 को समय दिन के 01:30 बजे, थाना बैहर अंतर्गत तन्नौर पुल के आगे फॉरेस्ट ऑफिस के सामने लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम. पी-21/ई-0636 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ?
3. क्या अभियुक्तगण इमरान उर्फ गुड्डा एवं राजेश ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के वाहन वाहन क्रमांक-एम. पी-21/ई-0636 को बिना बीमा कराए चलवाया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निराकरण

7— गोवर्धन अ.सा.01, गिरजाबाई अ.सा.02, सूरजप्रसाद अ.सा.03, रज्जूलाल अ.सा.04 का कथन है कि वह अभियुक्तगण को जानते हैं। घटना उनके न्यायालयीन कथन से दो माह पूर्व की दोपहर के समय तन्नौर पुल के आगे फॉरेस्ट ऑफिस के सामने की बैहर की है। वाहन को अभियुक्त राकेश चला रहा था। वाहन पलट गया था लेकिन वाहन कैसे पलटा था साक्षीगण को पता नहीं है। वाहन का नम्बर भी साक्षीगण को पता नहीं है। अभियुक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही से नहीं चल रहा था। वाहन के पलटने में अभियुक्त राकेश की गलती नहीं थी। घटना के संबंध में चिकित्सक ने थाना बैहर में घटना की सूचना दी थी। साक्षीगण

के पुलिस ने कथन लिए थे। साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण गोवर्धन अ.सा.01 ने प्र.पी.01 के पुलिस कथन, गिरजाबाई अ.सा.02 ने प्र.पी.02 के पुलिस कथन, सूरजप्रसाद अ.सा.03 ने प्र.पी.03 के पुलिस कथन एवं रज्जूलाल ने प्र.पी.04 के पुलिस कथन का क्रमशः ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं जिनसे अभियोजन पक्ष के प्रकरण की घटना का समर्थन होता हो।

8— आर.के.सिंह ठाकुर सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.05 का कथन है कि उन्हें दिनांक 23.01.2018 को शासकीय अस्पताल बैहर से तहरीर पर सूचना मिली थी उसके आधार पर पुलिस थाना बैहर में प्र.पी.05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी किशोर की निशांदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.06 तैयार किया था। साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। अभियुक्त का उपस्थिति पंचनामा प्र.पी.07 है। अभियुक्त राजेश से गवाहों के समक्ष चार पहिया मैक्स वाहन क्रमांक—एम.पी.21/ई—0636 को मय आर.सी. के प्र.पी. 08 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त किया था। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का परीक्षण कराया था। साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे।

9— साक्षीगण गोवर्धन अ.सा.01, गिरजाबाई अ.सा.02, सूरजप्रसाद अ.सा.03, रज्जूलाल अ.सा.04 ने उनकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उनका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है। संभवतः राजीनामा हो जाने के कारण साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में इस विचारणीय प्रश्न की घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं करायी है। अभियोजन पक्ष प्रकरण के आहतगण की साक्ष्य से अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्रमांक—एम.पी—21/ई—0636 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था।



### विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 व 3 का निराकरण

10— आर.के.सिंह ठाकुर सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.05 का कथन है कि अभियुक्त राकेश से गवाहों के समक्ष वाहन क्रमांक एम.पी. 21/ई-0636 एवं उसकी आर.सी.बुक, ड्रायविंग लाईसेंस प्र.पी.08 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त किया था। वाहन मालिक अभियुक्त इमरान को प्र.पी. 09 का नोटिस दिया था जिसमें उसके द्वारा वाहन को अभियुक्त राजेश को बेचा जाना बताया था। साक्षी ने अभियुक्त राजेश को प्र.पी.10 का नोटिस दिया था। जिसमें उसके द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी.21/ई-0636 अभियुक्त इमरान से खरीदना बताया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के सभी सुझावों को अस्वीकार किया है। प्रकरण के आहतगण ने उनकी साक्ष्य में अभियुक्त राकेश के द्वारा घटना के समय वाहन चलाया जाना बताया है। अभियुक्त राकेश के पास घटना के समय घटना कारित करने वाले वाहन का बीमा नहीं था। उसने घटना कारित करने वाले वाहन को बिना बीमा के चलाया था। अभियुक्त इमरान उर्फ गुड्डा ने अभियुक्त राकेश कुमार को बिना बीमा के प्रकरण में जप्तशुदा वाहन चलाने को दिया था। इस कारण यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी ने वाहन क्रमांक एम.पी.21/ई-0636 को बिना बीमा के चलाया था एवं अभियुक्त इमरान उर्फ गुड्डा ने उक्त वाहन को अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी से बिना बीमा कराए चलवाया था। अभियुक्त राजेश प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी नहीं है एवं अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अभियुक्त राजेश ने प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को किसी से क़य किया हो। इस कारण अभियुक्त राजेश के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त राजेश ने प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को बिना बीमा कराए चलवाया था।

11— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। एवं अभियोजन पक्ष अभियुक्त राजेश के विरुद्ध

मोटर.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 के अपराध का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त राजेश को मोटर.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी एवं अभियुक्त इमरान उर्फ गुड्डा के विरुद्ध मोटर व्ही.एक्ट की धारा-146/196 का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त राकेश कुमार मेरावी एवं अभियुक्त इमरान उर्फ गुड्डा को मोटर व्ही.एक्ट की धारा-146/196 के आरोप में क्रमशः 500-500/- (पांच सौ-पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि की अदायगी नहीं किये जाने पर अभियुक्तगण को क्रमशः 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जाये।

12- प्रकरण में अभियुक्तगण का धारा-428 दं.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

13- प्रकरण में अभियुक्तगण के मुचलका भारमुक्त किए जावे।

14- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.21/ई-0636 सुपुर्दगी पर नहीं है एवं प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का बीमा नहीं है। इस कारण प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी इस आशय की 2,00,000/- (दो लाख)रुपए की जमानत पेश करे कि यदि बीमा प्राधिकरण द्वारा क्लेम राशि पारित की जाती है तो उक्त जमानत राशि के बराबर पंजीकृत वाहन स्वामी क्लेम राशि देने के लिए तैयार रहेगा तो उसे वाहन सुपुर्दगी पर दिया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का रजिस्ट्रेशन उसके स्वामी को वापस दिया जावे एवं प्रकरण में जप्तशुदा राकेश कुमार का ड्रायविंग लाईसेंस उसको दिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व

दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

तहसील बैहर जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

तहसील बैहर जिला-बालाघाट